आई सी आर ए डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की भावी उधारियों की क्रेडिट ओपिनियन की पुन: पुष्टि करता है; स्थायी दृष्टिकोण देता है

आई सी आर ए द्वारा (जिसे आईसीआरए ट्रिपल ए उच्चारित किया जाता है) डीएफसीसीआईएल की भावी उधारी योजना पर क्रेडिट ओपिनियन दी गई है, यह रेल मंत्रालय की एक पूर्ण स्वामित्व वाली एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) है और दीर्घावधि रेटिंग के लिए इसे एक स्थायी दृष्टिकोण भी दिया गया है। आई सी आर ए ''(ICRA) AAA'' की रेटिंग वित्तीय बाध्यताओं की समय पर सेवा के संबंध में सेफ्टी की उच्चतम डिग्री माने जाने में सहायक है।

उपरोक्त क्रेडिट ओपिनियन अथवा उसकी विशिष्ट दस्तावेज संबंधी दीर्घावधि रेटिंग पर आगे पुष्टि आईसीआीरए के मूल्यांकन की शर्त पर ऋण दस्तावेज के अंतिम निबंधनों पर की जाएगी।

क्रेडिट ओपिनियन रेल मंत्रालय और डीएफसीसीआईएल के बीच हुए कन्सेशन एग्रीमेंट (सीए) और ट्रेक एक्सेस चार्जेज (टीएसी) के अनुसार स्थापित संबंधों के कारक के रूप में काम करती रहेगी। करारों के अनुसार भारतीय रेलवे, देश के अकेली अधिकृत रेल सेवा प्रदाता होने के कारण, डेडीकेटेड फ्रेट लाइनों की अकेली ग्राहक होगी और समस्त परिवर्तनशील तथा स्थिर लागतों को पूरा करने के लिए डीएफसीसीआईएल को ट्रेक एक्सेस प्रभार का भुगतान करेगी तथा साथ ही डीएफसीसीआईएल की ऋण की पुर्नअदायगी की प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगी, जिससे डीएफसीसीआईएल के ऋण संबंधी सेवा जोखिम समाप्त होंगे। क्रेडिट ओपिनियन रेल मंत्रालय के उस समर्थन को भी ध्यान में रखती है कि क्या ऋण की अदायगी देय होने तक डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर चालू हो जाते हैं। साथ क्रेडिट ओपिनियन में रेल मंत्रालय से डीएफसीसीआईएल को सशक्त तकनीकी, प्रबंधन और वित्तीय सहायता मिलती है, जिसमें मूलभूत ढांचे और देश में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए परियोजना के रणनीतिकमहत्व का उल्लेख किया गया है। परियोजनाओं को समय पर पूरा किए जाने के क्रम में, रेल मंत्रालय द्वारा अपेक्षित प्रशासनिक ढांचे को काम में लगाया है। साथ ही, इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया है कि इसके रणनीतिकमहत्व के कारण भारत सरकार द्वारा परियोजना पर दृष्टि रखी जा रही है, फीडर रूट के द्वारा भारतीय रेलवे के रेल नेटवर्क से जुडे डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (डीएफसी) भारतीय रेलवे के लिए एक अधिक कुशल माल यातायात अवसंरचना की व्यवस्था करेंगे, जिससे इसका घरेलू माल परिवहन का हिस्सा वर्तमान में 29% बढ जाएगा और विद्यमान रेल नेटवर्क पर भीडभाड कम करने में आसानी होगी। इससे विद्यमान रेल नेटवर्क पर लोड को कम करने में भी सहायता मिलेगी और इसकी यात्रा आय से प्राप्त राजस्व क्षमता की वृद्धि होगी।

आईसीआरए ने भी परियोजना की शुरूआत, लागत के अधिक बढ जाने और परियोजना से जुडे निधि संबंधी जोखिमों पर ध्यान दिया है, जिसमें इसके पैमाने और जटिलता का उल्लेख किया गया है, यद्यपि, पिछले एक वर्ष में अच्छी प्रगति हुई है। डीएफसीसीआईएल द्वारा मार्च, 2015 तक 26,000 करोड रुपये मूल्य की संविदाएं सौंपी जा चुकी हैं और अधिकांश संविदाएं वित्तीय वर्ष 16 में सौंपे जाने की संभावना है। साथ ही, जून 2015 तक रेल मंत्रालय द्वारा अधिगृहीत की जा रही कुल अपेक्षित भूमि में से 81% भूमि अधिगृहीत किए जाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। परियोजना की निधि व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्से

के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ व्यवस्था की जा चुकी है और उसकी स्वीकृति का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, फ्रेट कोरीडोर के एक सेक्शन का विकास कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल की तर्ज पर सौंपा गया है। वर्तमान फंडिंग प्लान में वाणिज्यिक देनदारियां नहीं दर्शाई गई हैं, तथापि यदि किसी मामले में इसकी आवश्यकता हुई तो उसकी व्यवस्था रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा उसकी गारंटी दिए जाने की संभावना है।

कंपनी का प्रोफाइल

डीएफसीसीआईएल रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा विकसित एक एसपीवी है, जिसका कार्य भारत के स्वर्ण चतुर्भुज और व्यास वाले रेल मार्गों के साथ-साथ डेडीकेटेड फ्रेट लाइनों का निर्माण, संचालन और रख-रखाव करना है। डेडीकेटेड फ्रेट नेटवर्क वर्तमान रेल नेटवर्क पर भीडभाड कम करेगा, जिससे भारतीय रेलवे अतिरिक्त रेलगाडियां चला सकेगी। साथ ही, परियोजना के प्रस्तावित डिजाइन की विशेषताएं भारतीय रेलेव पर उच्च गति वाली तथा उच्च एक्सल लोड वाली रेलगाडियां चलाने की अनुमति देगी और इस प्रकार इसकी परिचालनिक दक्षता में सुधार होगा।

स्वर्ण चतुर्भुज दिल्ली, मुबंई, चैन्ने और कोलकाता को जोडता है तथा इसका व्यास लिंक दिल्ली-चैन्ने और मुंबई-कोलकाता को जोडता है।

प्रेस विज्ञप्ति

दावा मुक्ति: आईसीआरए की रेटिंग को विक्रय, क्रय अथवा रेटिड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की सिफारिश नहीं मानी जानी चाहिए। आईसीआरए रेटिंग निगरानी की प्रक्रिया की शर्त पर दी जाती है, जिससे रेटिंग के संशोधन को बढावा मिल सकता है। कृपया हमारी वेबसाइट www.icra.in देखें अथवा आउटस्टेंडिंग आईसीआरए रेटिंग्स के संबंध में नवीनतम जानकारी के लिए किसी भी आईसीआरए रेटिंग्स के संबंध में नवीनतम जानकारी के लिए किसी भी आईसीआरए कार्यालय से संपर्क करें।

पहले चरण में डीएफसीसीआईएल की दो डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (डीएफसी) पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (लुधियाना से दानकुनी) और पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (दादरी से मुंबई) के निर्माण की योजना है- जिसमें दोनों कोरीडोर की लंबाई 3300 किमी.है, जो 2019-2020 तक पूरी तरह काम करने लगेंगे। इन दोनों कोरीडोर की पूर्ण लागत 81,459 रु. अनुमानित है (पूर्व अनुमानित 73,392 करोड रु. की संशोधित राशि), जिसके लिए रेल मंत्रालय द्वारा शेयर के माध्यम से 15,951 करोड रु. की निधि जुटाना प्रस्तावित है, इस संबंध में सकल बजटीय समर्थन (जीबीएस) के रूप में 52,000 करोड रुपये की बाहरी सहायता और शेष राशि इंटरनल अक्रुअल से जुटाई जाएगी। फ्रेट कोरीडोर के एक हिस्से (जो 81,459 करोड रूपये की परियोजना लागत में शामिल नहीं है) के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के माध्यम से निधि की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान निधि योजना में कोई वाणिज्यिक उधारियां प्रदर्शित नहीं हैं, हालांकि किसी प्रकार की कमी के मामले में उसकी पूर्ति मार्केट उधारियों के माध्यम से की जा सकती है। सकल बजटीय समर्थन (जीबीएस) के लिए वित्त मंत्रालय निधि का स्त्रोत बना हुआ है, क्योंकि जाइका और विश्व

बैंक से ऋण लिए जा रहे हैं। इस समय जाइका द्वारा 230.6 बिलियन येन तथा विश्व बैंक से 2,075 अमेरिकी डॉलर के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

गारंटर प्रोफाइल

रेल मंत्रालय, भारत सरकार के प्रमुख केन्द्रीय रेल मंत्री हैं, जिनकी सहायता के लिए दो रेल राज्य मंत्री हैं। रेल मंत्री भा.रे के अपने विभागों के माध्यम से देश में अधिकांश रेलवे अवसरंचना का स्वामित्व रखते हैं तथा उसका संचालन करते हैं। रेल मंत्रालय का कामकाज रेलवे बोर्ड द्वारा चलाया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष एक वित्त आयुक्त और पांच सदस्य हैं। रेल मंत्रालय का अपना बजट है, जो केन्द्रीय बजट से अलग है, जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। रेलवे बजट में रेलवे पर सुनियोजित अवसंरचनात्मक व्यय के साथ-साथ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए परिचालनिक राजस्व और व्यय की कार्रवाई की जाती है।

अक्टूबर 2015

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

एनालिस्ट कांटेक्ट:
श्री सब्यसाची मजूमदार (टे.नं. +91-124-4545304)
sabyasachi@icraindia.com
रिलेशनशिप कांटेक्ट:
श्री विवेक माथुर (टे.नं. +91-124-4545310)
vivek@icraindia.com

आईसीआरए विभिन्न इन्स्ट्रूमेंट को उनकी जटिलता के आधार पर ''सिंपल'' ''कॉम्पलेक्स'' ''हाइली कॉम्पलेक्स'' के रूप में वर्गीकरण किया है। अपनी जटिलता के स्तर के आधार इन्स्ट्रूमेंट का वर्गीकरण www.icra.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रेस विज्ञप्ति

दावा मुक्ति: आईसीआरए की रेटिंग को विक्रय, क्रय अथवा रेटिड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की सिफारिश नहीं मानी जानी चाहिए। आईसीआरए रेटिंग निगरानी की प्रक्रिया की शर्त पर दी जाती है, जिससे रेटिंग के संशोधन को बढावा मिल सकता है। कृपया हमारी वेबसाइट www.icra.in देखें अथवा आउटस्टेंडिंग आईसीआरए रेटिंग्स के संबंध में नवीनतम जानकारी के लिए किसी भी आईसीआरए रेटिंग्स के संबंध में नवीनतम जानकारी के लिए किसी भी आईसीआरए कार्यालय से संपर्क करें।